

नवाब वाजिद अली शाह, प्राणि उद्यान, लखनऊ परिसर में स्थित जू ओपन एयर रेस्टोरेन्ट बिल्डिंग में तीन वर्ष की अवधि हेतु निविदा प्रपत्र की अर्हता हेतु निम्न प्रपत्रों का होना आवश्यक है। अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

- प्रतिष्ठित फास्ट फूड सेन्टर्स का पंजीयन प्रमाण पत्र एवं 3 (तीन) वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- उद्योग विभाग का प्रमाण पत्र।
- आयकर विभाग द्वारा निर्गत स्थायी पैन नम्बर (PAN No.) की पठनीय प्रति एवं इनकम टैक्स रीटर्न की प्रति।
- व्यापार कर विभाग द्वारा जारी टिन नम्बर (TIN No.) की प्रति।
- जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र।
- जिलाधिकारी कार्यालय से निवास/पते का प्रमाण पत्र।
- जिलाधिकारी द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो।
- वर्किंग कैपिटल एवं बैंक खाते का वर्तमान तिथि तक न्यूनतम रू0 20.00 लाख स्टेटमेन्ट (Turn Over) होना आवश्यक है।
- उत्तर प्रदेश व्यापार कर पंजीकरण प्रमाण-पत्र या केन्द्रीय बिक्रीकर पंजीकरण प्रमाण-पत्र, जो वर्तमान समय तक की वैधता दर्शाती हो।

नवाब वाजिद अली शाह, प्राणि उद्यान, लखनऊ के मांसाहारी वन्य जीवों हेतु भैंसे के गोश्त एवं भैंसे के पड़वे का गोश्त की दैनिक आपूर्ति का निविदा प्रपत्र की अर्हता हेतु निम्न प्रपत्रों का होना आवश्यक है अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

- जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण पत्र।
- जिलाधिकारी कार्यालय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से अपने चरित्र का प्रमाण पत्र।
- जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा स्थाई निवास प्रमाण पत्र।
- आयकर विभाग द्वारा निर्गत स्थायी पैन कार्ड की सत्यापित प्रति एवं नवीनतम इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति।
- लाइसेन्स डीलर/अन्य आपूर्ति कर्ता की पठित प्रति।
- भैंसे व पड़वे के गोश्त का नगर निगम द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं 3 वर्ष (तीन वर्ष) का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अति आवश्यक है।
- वर्किंग कैपिटल एवं बैंक खाते का वर्तमान तिथि तक न्यूनतम रु0 50.00 लाख स्टेटमेन्ट (**Turn Over**) होना आवश्यक है।
- उत्तर प्रदेशक व्यापार कर पंजीकरण प्रमाण पत्र या केन्द्रीय बिक्रीकर पंजीकरण प्रमाण पत्र, जो वर्तमान समय तक की वैधता दर्शाती हो।